

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 68/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

भुनेश्वर भुईयां ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

किशोर मंडल वगै0 ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

11/7/25

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राजस्व दस्तावेजों का अध्ययन/अवलोकन करने, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक प्रथम पक्ष को उनके दादा चान्दो भूइयां के नाम से 2.70 एकड़ भूमि बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय के जमाबन्दी पंजी-II के भाग सं0-02 पृष्ठ सं0 122 पर कायम है। साथ ही लगान रसीद वर्ष 2024-25 तक निर्गत है।

वहीं दूसरी ओर, द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या 01 के पिता झरी मंडल को 1.05 एकड़ भूमि बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा हासिल है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी II भाग सं0 03 के पृष्ठ सं0 047 पर कायम है। साथ ही उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का मकान भी बना हुआ है एवं शेष रकबा पर जोत कोड़ किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष के पक्षकार संख्या 2, 3 तथा 4 के अनुसार उन्हें दो पार्ट में भूमि सादा हुकुमनामा के जरिए प्राप्त है :-

पार्ट सं0- 01 : कैली देवी, पति नन्हकु सुण्डी के नाम से 50 डी0 भूमि प्राप्त है जिसकी जमाबन्दी पंजी-II के भाग सं0 02 पृष्ठ सं0 164 पर कायम है।

पार्ट सं0- 02 : विशुना सुण्डी वो नन्हकु सुण्डी को 50 डी0 भूमि सादा हुकुमनामा के जरिए प्राप्त है जिसकी जमाबन्दी पंजी-II के भाग सं0-01 पृष्ठ सं0 76 पर कायम है।

दस्तावेजों के अवलोकन से अग्रेत्तर ज्ञात होता है कि अंचल अधिकारी सरिया के द्वारा 16.08.2019 को ही उक्त तीनों पक्ष के भूमि का सीमांकन कर दिया गया है। मापी प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। द्वितीय पक्ष आगे बयान करते हैं कि प्रथम पक्ष के द्वारा मापी के आधार पर प्राप्त कुल भूमि 2.32 एकड़ भूमि विभिन्न रैयतों के मध्य बिक्री कर

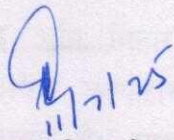
चुके हैं तथा सीमांकन के अनुसार शेष रकबा 25.4 डी0 भूमि पर वर्तमान में कायम काबिज है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019 में सीमांकन के उपरान्त सभी पक्ष अपने-अपने सीमांकित भूमि पर कायम काबिज हैं अतः प्रथम पक्ष का उक्त भूमि पर विवाद करना औचित्यहीन प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में नियमन को द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त (Vacate) तथा प्रथम पक्ष के विरुद्ध संपुष्ट (absolute) घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया